3.12.24	वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु समय चाहा। पूर्व के कई अवसर दिये जा चुके हैं न्यायहित मे अन्तिम अवसर भी दिये जा चुके हैं इतने अवसर दिये जाने के बाद भी वकील वादी ने प्रतिवादीगण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	की तलबी का स्टेप नहीं लिया है। उनका यह कृत्य वाद को चलाने रखने में उनकी अरुचि को जाहिर करता है। जबकि प्रचलित न्यायिक सिद्धान्तों के अनुसार वाद की विधिक कार्यवाहियों की पूर्ति की जिम्मेदारी वादी की होती है। अतः दावा वादीगण अदम तामील / नॉट कम्प्लायंस में सी.पी.सी. के प्रावधान आदेश 9 नियम 5 के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।
	(हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज०)